कार्यालय नगरपालिका परिषद 'जल प्रकोष्ठ' गुना (म.प्र)

क्रमांक 58 गुना दिनांक 29.04.2026

2026-UAD-504144-1

निविदा सूचना

—00—

निम्नलिखित विवरण के अनुसार आगामी वर्ष हेतु सामग्री सप्लाई के लिये निविदाये समस्त निर्माताओं अथवा अधिकृत विक्रेताओं से ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है-

क्रं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	प्रतिभूति राशि	निविदा का मूल्य	कार्य की अवधि
1	(A) G.I. Pipe As per is 1239 part 1st with up to date amendment mediam class perfect weight. 1. 50 mm dia - 3000 Mts (Prakash Surya, Tata Make.)	3135593/-	23517/-	5000/-	01 वर्ष

1. निविदा क्रय करने का अंतिम दिनांक :- 03.06.2026 समय शाम 5.30 PM तक
2. निविदा प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक :- 03.06.2026 समय शाम 5.30 PM तक
3. निविदा खोलने का दिनांक :- 05.06.2026 समय सुबह 11.00 AM

नोट :- निविदा की विस्तृत जानकारी एवं शर्तें वेवसाईट **www.mptender.gov.in** पर अथवा कार्यालयीन समय में आकर कार्यालय में देखी जा सकती है।

(मंजूषा खत्री)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् गुना (म.प्र.)

(सविता अरविन्द गुप्ता)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद् गुना (म.प्र.)

निविदा की शर्तें एवं नियम -

1. सामग्री , उपयंत्री के निर्देश अनुसार जल प्रकोष्ठ कार्यालय, गुना अथवा नगर में बताये स्थान पर प्रदाय करना होगी ।
2. ठेकेदार/संस्थान का स्थायी पता एवं बिक्रीकर GST No.,आयकर नंबर(पेन नं.)होना आवश्यक है।
3. शर्तो वाली, अपूर्ण एवं अस्पष्ट निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदा में दरे प्रति मीटर में दी जावे तथा दरें बिना जी.एस.टी. के दी जावें।
5. शासन नियमानुसार GST की राशि का भुगतान किया जावेगा।
6. शासन नियमानुसार सभी करों एवं GST की कटौती देयकों से की जावेगी।
7. सफल निविदाकार को परफोर्मेंस सिक्योरिटी की राशि उसकी संविदा के मूल्य के आधार पर जमा करना होगी।
8. दर्शाई गई मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
9. कार्य एक मुश्त नही कराया जावेगा। कार्य समय-समय पर आवश्यकतानुसार आदेश देकर कराया जावेगा।
10. सामग्री की त्वरित आपूर्ति हेतु स्वीकृत दर पर किसी अन्य एजेंसी से सामग्री क्रय की जावेगी।
11. कार्य की अति आवश्यकता तथा पेयजल की आपूर्ति हेतु आवश्यकता होने पर स्वीकृत दर पर आगामी वर्ष की नवीन दरे स्वीकृत होने तक कार्य करना होगा।
12. सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये निविदा निरस्त की जा सकती है।
13. सामग्री प्रदाय करने के दौरान किसी घटना, दुर्घटना, क्षति एवं हानि के लिये निविदाकार स्वंय उत्तरदायी होगा, विभाग नहीं।
14. समस्त कार्य विभागीय निर्देशो के अधीन करना होगा। निर्देशो की अवहेलना आदि की दशा में ठेका त्वरित रूप से निरस्त कर दिया जावेगा एवं वैकल्पिक व्यवस्था विभाग द्वारा की जावेगी जिसका हर्जे खर्चे के लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
15. सामग्री निर्धारित समय सीमा में प्रदाय करना होगी तथा सामग्री समय सीमा में प्रदाय न करने की स्थिति में त्वरित आपूर्ति हेतु स्वीकृत दर पर किसी अन्य एजेंसी से सामग्री क्रय की जा सकती है।
16. सामग्री निर्धारित स्तर की न होने की स्थिति में स्वीकार नहीं की जावेगी एवं न ही किसी प्रकार का भुगतान किया जावेगा।
17. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जाना संभव होगा तथा किसी भी प्रकार का ब्याज आदि भुगतान नहीं किया जावेगा।
18. किसी भी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र गुना होगा।

17/05/2026

(मंजूषा खत्री)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् गुना (म.प्र.)

(सविता अरविन्द गुप्ता)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद् गुना (म.प्र.)

Signature Not Verified
Digitally signed by SANCHIT DIMRI
Date: 2026.05.02 01:50:42 MDT
Location: Madhya Pradesh-MP